तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
16/8/24	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त ~~वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 25/10/24 को पेश हो।
25/10/24	पत्रावली पेश हुई वादी अधि० 340 प्रतिवादी अधि० 340 पत्रावली जवाब / तनकी हेतु दिनांक 5/11/24 को पेश हो
5/11/24	पत्रावली पेश हुई। वादी-वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा ग्राम पुर की विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 7164 रकबा 0.1138 हे. की जमाबंदी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पुर के खसरा नं. 7164 रकबा 0.1138 हे. भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार नगर विकास न्यास के नाम दर्ज है। यह भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित होकर नगर विकास न्यास के नाम दर्ज हुई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 के अनुसार "आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि" के सम्बन्ध में वाद का श्रवणाधिकार इस न्यायालय का नहीं होने से यह वाद काबिले खारिज है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन कर वाद काबिले खारिज होने से वाद को खारिज करने का निवेदन किया। वादी एवं वादी अधिवक्ता को पुनः आवाज लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। पुनः एक बार आवाज लगाने पर

—लगातार—

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	वाद सं. 28/2022 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज शंकर V/S जैराम वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/11/24	वादी अधिवक्ता उप. सुना वादी अधिवक्ता द्वारा राजस्व रिकॉर्ड का (जमाबंदी) अवलोकन कर वादग्रस्त भूमि ग्राम पुर के खसरा नं. 7164 रकबा 0.1138 है- के आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित होकर नगर विकास न्यास के नाम दर्ज होने तथा भूमि के रूपान्तरित होने से वाद पत्र के काबिल चलने योग्य नहीं होने के तथ्य को स्वीकार किया गया। अत: वादी- प्रतिवादी अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार की बहस तथा राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन उपरान्त प्रथम दृष्टया यह उचित प्रतीत होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 के अन्तर्गत इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अत: वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत ग्राम पुर के खसरा नं. 7164 रकबा 0.1138 है. अन्तर्गत ~~धारा~~ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 व 188 को न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने तथा भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित हो जाने से खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा	